राजस्थान भूमि विशेष-सिंचाई प्रभार अधिनियम, 1953[1]

(1953 का अधिनियम संख्या 25)

(श्रीमन् राजप्रमुख की अनुमति 18 दिसम्बर, 1953 को प्राप्त हुई)

सिंचाई योजनाओं में सम्मिलित भूमियों के सम्बन्ध में विशेष प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित या नियन्त्रित तथा उसके खर्च पर उपक्रमित या संधारित सिंचाई योजनाओं में सम्मिलित तथा उनसे लाभान्वित या जिनके उनसे लाभान्वित होने की सम्भावना हो ऐसी भूमियों पर सुधार प्रभार एवं एकड़ रेट के रूप में विशेष प्रभारों के संग्रहण के लिए उपबन्ध करना समीचीन है। अतः राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम 'राजस्थान भूमि विशेष सिंचाई प्रभार अधिनियम, 1953' है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. निर्वचन—(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई विरुद्ध बात न हो, इस अधिनियम में—

(1) 'एकड़ रेट' से किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित भूमियों पर धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत प्रभार अभिप्रेत है।

(2) 'सुधार प्रभार' से किसी सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमियों पर धारा 5 के अधीन उद्ग्रहीत प्रभार अभिप्रेत है;

(3) 'नहर' में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) जल के प्रदाय या संग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा संनिर्मित, अनुरक्षित या नियन्त्रित सभी नहरें, जलसरणियाँ, जलाशय, कुएं, नलकूप तथा लिफ्ट सिंचाई के प्रबन्ध;

(ख) समस्त संकर्म, हेडवर्क्स, संरचनाएं, ऐसी नहरों, जलसरणियों, जलाशयों, कुओं, नलकूपों या लिफ्ट सिंचाई-प्रबन्धों से जुड़े हुए जल-प्रदाय तथा अतिवाही वाहिकायें;

(ग) समस्त जलसरणियों, अर्थात् ऐसी समस्त वाहिकायें जिनमें किसी नहर से पानी आता है परन्तु जिनका संधारण राज्य सरकार के खर्च पर नहीं किया जाता तथा ऐसी किन्हीं भी वाहिकाओं में सहायक संकर्म; और

(घ) किसी नदी, झरना, झील या स्थिर जल का अन्य प्राकृतिक संग्रहण या कोई प्राकृतिक जलनिकास वाहिका के समस्त भाग, जिनका जल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की गई किसी घोषणा के कारण किसी भी वर्तमान या प्रायोजित नहर, या जलनिकास संकर्म के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त किया जा सके या उपभोग में लाया जा सके;

(4) 'नहर अधिकारी' से किसी नहर या उसके किसी भी भाग पर नियन्त्रण रखने या अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

---

1. राज. राज-पत्र भाग 4 (ग) दि. 21-7-1977 में प्रकाशित हिन्दी अनुवाद।

(5) 'धारिता गुणक' से किसी नहर से प्राधिकृत पूर्ण निस्सरण की तुलना में 'औसत-जलप्रदाय' का अनुपात अभिप्रेत है, और किसी कालावधि में 'औसत जलप्रदाय' का अर्थ है उस कालावधि के दौरान दिनों की संख्या से विभाजित, क्यूसेक में दैनिक जलप्रदाय;

(6) 'क्यूसेक' निस्सरण की इकाई है तथा इससे प्रति सैकण्ड में घनफुट जल-प्रवाह की दर अभिप्रेत है;

(7) 'डिवीजनल नहर अधिकारी' से नहर के किसी खण्ड पर नियन्त्रण रखने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(8) 'जल निकास संकर्म' में बाढ़ से या कटाव से भूमियों की रक्षा के लिए, राज्य सरकार द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी नहर से निकाली हुई अतिवाही वाहिकायें, बांध, बंधिकायें, पाल, जलद्वार, पुश्ते तथा अन्य संकर्म सम्मिलित हैं परन्तु इसमें नगरों से मल बहाने के लिए निर्मित संकर्म सम्मिलित नहीं है;

(9) × × × ×

(10) 'सिंचाई योजना' से ऐसी योजना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए 7 अप्रैल, 1949 के बाद प्रवर्तन में आई है या आती है, अर्थात्—

(क) किसी वर्तमान या परियोजित नहर से भूमियों की सिंचाई;

(ख) किसी वर्तमान नहर की अनुमोदित सिंचन सीमा में स्थित भूमियों पर सिंचाई का विस्तार;

(ग) पहल से सिंचित भूमियों के सिंचाई प्रदाय या धारिता गुणक अथवा जलदाय में सुधार;

(घ) राज्य सरकार द्वारा जलप्रदाय या संग्रहण के लिए निर्मित, अनुरक्षित या नियन्त्रित किसी भी जलाशय, बांध या पाल की या उनके सुधार या उनसे जल-निकास की व्यवस्था;

(11) 'भूमि' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए या उसके अनुसेवी प्रयोजनों के लिए या चराई के लिए भाटक पर दी जाए या धारण की जाए और इसमें किसी तालाब की भूमि तथा अन्य भूमि, जो जल से ढकी हुई हो, और जिसका सिंचाई के या सिंघाड़ा उगाने या अन्य उत्पादन के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सके, शामिल है तथा जोत पर के मकानों, अहातों या अन्य संरचनाओं द्वारा घिरी हुई भूमि भी इसमें सम्मिलित है परन्तु आबादी भूमि सम्मिलित नहीं है;

(12) 'भू-धारक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको लगान संदेय है या किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के अभाव में संदेय हो तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) शिकमी काश्तकार के सम्बन्ध में मुख्य काश्तकार; तथा

(ख) किसी सम्पदा, अर्थात् किसी जागीर, माफी, बिस्वेदारी, इस्तमरारदारी, जमींदारी या किसी अन्य प्रकार के अनुदान अथवा समनुदेशन में सम्मिलित भूमि का सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग का धारक या उस सम्पदा के लाभों के भागीदार;

(13) 'विहित' से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(14) 'काश्तकार' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से या किसी भू-धारक से, भूमि धारण करता है और जिसके द्वारा लगान संदेय है या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अभाव में संदेय हो, तथा इसमें जहां प्रतिकूल आशय प्रतीत हो उस स्थिति के सिवाय, काश्तकार के सम्बन्ध में उसका शिकमी काश्तकार सम्मिलित है तथा अधिभोगी काश्तकार से ऐसा काश्तकार अभिप्रेत है जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन भूमि के जिसे वह धारण करता है, अधिभोग का अधिकार है।

(15) 'अनुज्ञात जलमात्रा' से जल निकास की प्रकल्पित घनफुट संख्या या किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित भूमि के प्रति एक हजार एकड़ में वितरण क्षमता अभिप्रेत है; तथा

(16) 'जलसरणी' का वही अर्थ है, जो इसे राजस्थान इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट, 1954 (1954 का राजस्थान एक्ट 21) में दिया गया है।

(2) × × ×

3. विशेष सिंचाई प्रभार जो उद्ग्रहीत किये जा सकेंगे—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियमिति के अधीन वसूल की गई या वसूलीय रेट या प्रभारों के, यदि कोई हों, अतिरिक्त जो विशेष सिंचाई प्रसार इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किये जा सकेंगे, निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई होंगे, अर्थात्—

(1) एकड़ रेट, तथा

(2) सुधार प्रभार।

4. एकड़ रेटों का उद्ग्रहण—(1) जहां किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित किन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित संकर्मों में से एक या अधिक संकर्मों के निष्पादन में या निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उपायों को उपक्रमित करने में व्यय किया गया हो या किये जाने की सम्भावना हो, अर्थात्—

(क) आयतीकरण, उप आयतीकरण या किल्लाबन्दी करना (अर्थात् एक एकड़ के खेतों में भूमि का उप विभाजन);

(ख) तल का, स्थल रूपरेखा का या मृदा का सर्वेक्षण;

(ग) जल के मार्गों का संनिर्माण;

(घ) ग्राम सड़कों तथा उनसे संबंधित संकर्मों का संनिर्माण;

तो राज्य सरकार ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति करने या पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ एकड़ रेटों की एक अनुसूची तैयार करवायेगी जिसमें ऐसी दरों का, जो भूमियों पर उद्ग्रहणीय होंगी तथा ऐसी रीति का जिससे तथा ऐसे व्यक्ति का जिसके द्वारा वे संदेय होंगी, उल्लेख होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई अनुसूची का प्रारूप राजस्थान राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा।

(3) कोई भी भू-धारक या अधिभोगी काश्तकार जो प्रस्तावित एकड़ रेटों से प्रभावित हो, राजपत्र में अनुसूची के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर एकड़ रेटों के उद्ग्रहण या उसके भार के सम्बन्ध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों, उल्लिखित करते हुए राज्य सरकार को एक लिखित अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार, आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् और मामलों में ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, एकड़ रेटों की अन्तिम अनुसूची का अवधारण करेगी और उसे राज-पत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करवायेगी।

5. सुधार प्रभारों का उद्ग्रहण—(1) राज्य सरकार, ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में, जो किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित है या जिसके सम्मिलित किये जाने की संभावना है, सुधार प्रभारों के उद्ग्रहण के अपने आशय की अधिसूचना राज-पत्र में और अन्य ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जारी करके, सुधार प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगी और ऐसी अधिसूचनाएँ प्रस्तावित सिंचाई का प्रकार तथा उसके प्रसार की विशिष्टियों सहित प्रस्तावित उद्ग्रहण की ऐसी विशिष्टियाँ, विनिर्दिष्ट करेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से एक माह की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार सिंचाई योजना में सम्मिलित समस्त भूमियों या भूमि के समस्त वर्गों के लिए सुधार प्रभारों की एक अनुसूची तैयार करवा सकेगी जिसमें ऐसी दरों का जिन पर भूमियों से प्रभार उद्ग्रहणीय होने तथा उनके भू-धारकों तथा अधिभोगी काश्तकारों द्वारा संदेय हों तथा उस अनुपात का जिसमें प्रभार इस प्रकार संदेय होंगे, उल्लेख होगा।

(3) किसी भी सिंचाई योजना के सुधार प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए उप धारा (2) के अधीन अनुसूची तैयार करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएंगी, अर्थात्—

(क) सिंचाई का प्रकार,

(ख) सिंचाई में सुधार,

(ग) भूमियों पर हुए सुधार का परिणाम।

(4) उप-धारा (2) के अधीन तैयार की गई अनुसूची का प्रारूप राजपत्र में तथा अन्य विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा।

(5) कोई भी भू-धारक या अधिभोगी काश्तकार, जो प्रस्तावित सुधार-प्रभारों से प्रभावित हो, अनुसूची के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर सुधार प्रभारों के उद्ग्रहण या उसकी दर के सम्बन्ध में अपने आक्षेप यदि कोई हों, बतलाते हुए एक लिखित अर्जी, राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) राज्य सरकार आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् और मामले में ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, सुधार प्रभारों की अन्तिम अनुसूची का अवधारण करेगी तथा उसे राजपत्र में और अन्य विहित रीति से प्रकाशित करवाएगी।

(7) किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित किन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय सुधार प्रभारों की रकम सिंचाई योजना के सम्बन्ध में किसी कार्य के प्रारम्भ होने के पूर्व की ऐसी तारीख पर, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, भूमियों के मूल्य और ऐसे कार्य के प्रारम्भ के पश्चात् की ऐसी तारीख पर जो राज्य सरकार तदनुसार नियत करे, उन भूमियों के अनुमानित मूल्य के बीच के अन्तर के आधे से अधिक नहीं होगी। भूमियों का मूल्यांकन विहित रीति से किया जाएगा।

(8) जहाँ किसी सिंचाई योजना में भू-धारकों तथा अधिभोगी काश्तकारों के लिए केवल लिफ्ट सिंचाई की ही व्यवस्था हो और उसका प्रवर्तन भू-धारकों या अधिभोगी काश्तकारों द्वारा किया जाए तो उद्ग्रहणीय सुधार-प्रभार उन प्रभारों के आधे से अधिक नहीं होंगे, जो गुरुत्व जलप्रवाह सिंचाई के लिए अन्यथा सन्देय होते;

(9) जब ऐसी लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्थाएँ गुरुत्व जलप्रवाह सिंचाई में परिवर्तित कर दी जाए तो भू-धारक या अधिभोगी काश्तकार यथास्थिति भूमियों के सम्बन्ध में पूर्ण सुधार-प्रभार देने के लिए दायी होंगे।

6. अनुसूची की अन्तिमता—धारा 4 की उपधारा (4) और धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन यथा प्रकाशित अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष सिंचाई प्रभार अन्तिम होंगे और कोई भी न्यायालय इस प्रकार प्रकाशित अनुसूचियों को या ऐसे प्रभारों के उद्ग्रहण को या उनकी दर को अथवा सुधार प्रभारों को उद्ग्रहीत करने के प्रयोजनार्थ भूमियों के मूल्य में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि के अवधारण को प्रश्नगत नहीं करेगा।

7. एकड़ रेट तथा सुधार प्रभारों की मांग—(1) जब धारा 4 की उपधारा (4) और धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन एकड़ रेट या सुधार प्रभारों की अनुसूची राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो नहर अधिकारी ऐसी रकम को जो प्रत्येक भू-धारक या अधिभोगी काश्तकार द्वारा सन्देय है, पूर्ण विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट करते हुए उसके सम्बन्ध में एक माँग-विवरण विहित प्ररूप में तैयार करेगा और उस पर मांग का नोटिस तामील करवायेगा।

(2) कोई भी भू-धारक या अधिभोगी काश्तकार मांग नोटिस की तारीख से विहित कालावधि के भीतर, मांग अथवा उसके किसी भाग पर आक्षेप करते हुए एक अर्जी डिवीजनल नहर अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और अर्जी का निपटारा ऐसी रीति से होगा तथा उस पर दिये गये आदेश ऐसी अपीलों के अध्यधीन पारित किये जाएंगे जो विहित की जाएं।

(3) मांग नोटिस के अधीन देय कोई भी रकम, ऐसे निदेशों के अध्यधीन, जो उपधारा (2) के अधीन किसी अपील पर पारित किये जाएं, ऐसे समय के भीतर संदेय होगी, जो विहित किया जाए।

8. वसूली की रीति—(1) विशेष सिंचाई प्रभारों का भुगतान एक या अधिक किश्तों में, जो विहित की जाएं, किया जा सकेगा :

परन्तु जहाँ विशेष सिंचाई प्रभारों का भुगतान किश्तों में किये जाने की अनुमति दी गई हो वहां ऐसी किश्तों के सम्बन्ध में ब्याज ऐसी दर से, जो विहित की जाए, सन्देय होगा और ऐसे ब्याज की वसूली ऐसी रीति से की जाएगी जिससे कि विशेष सिंचाई प्रभारों की की जाती है।

(2) इस धारा में किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, किसी भू-धारक को अपनी भूमि का कोई भाग, उसके सम्बन्ध में संदेय सुधार प्रभारों के चुकारे में राज्य सरकार के पक्ष में छोड़ने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी।

9. कतिपय मामलों में वसूली का स्थगन—जब किसी क्षेत्र में फसलें अच्छी नहीं हुई हों तो राज्य सरकार, इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किन्हीं विशेष सिंचाई प्रभारों की वसूली को पूर्णतः या अंशतः ऐसी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थगित कर सकेगी।

10. प्रभारों का प्रभाजन—संबंधित भूधारकों तथा अधिभोगी काश्तकारों से विशेष सिंचाई प्रभार ऐसे अनुपात में, जो विहित किया जाए, वसूलीय होंगे :

परन्तु एक ही भूमि के भूधारकों तथा अधिभोगी काश्तकारों के बीच ऐसा कोई प्रभाजन करते समय ऐसे व्यक्तियों के बीच उस भूमि के सम्बन्ध में उत्पादन या पूंजीगत मूल्यों के प्रभाजन की प्रचलित प्रथा का ध्यान रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक भूधारक हों तो वे भूधारक से वसूलीय भाग के लिए संयुक्त तथा पृथक्-पृथक् रूप से दायी होंगे तथा उसी प्रकार, जहाँ एक से अधिक अधिभोगी काश्तकार हों तो वे अधिभोगी काश्तकार से वसूलीय भाग के लिए संयुक्त तथा पृथक्-पृथक् रूप से दायी होंगे।

11. अधिनियम के अधीन विशेष प्रभारों का भूमि पर प्रभार होना—इस अधिनियम के अधीन विशेष सिंचाई प्रभारों के रूप में विधिसंगत रूप से देय किसी भी राशि को भू-राजस्व के सिवाय भूमि के सम्बन्ध में संदेय समस्त अन्य प्रभारों पर पूर्विकता दी जाएगी और भूमि पर उस सीमा तक प्रभार समझी जाएगी तथा भूराजस्व की बकायाओं के रूप में वसूलीय होगी।

12. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—कोई भी सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने वाली किसी बात से सम्बन्धित किसी भी विषय में अधिकारिता नहीं रखेगा।

13. हानियों आदि के लिए राज्य सरकार का दायित्व न होना—किसी नहर में जल न आने या रुक जाने से या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे किसी कारण से या नहर अधिकारी अथवा डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा नहर में की गई किन्हीं मरम्मतों, परिवर्तनों एवं परिवर्धनों द्वारा या उसमें जल के उचित प्रवाह को विनियमित करने के लिए और उन मामलों में, जहाँ नहर अधिकारी या डिवीजनल नहर अधिकारी ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक समझे, सिंचाई का स्थापित सिंचाई क्रम बनाए रखने के लिए अपने द्वारा किये गये किन्हीं उपायों के कारण हुई हानि के कारण मुआवजे के लिए या विशेष सिंचाई प्रभारों की वापसी के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

14. संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना-पूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होगी।

15. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) ऐसे नियमों में विशेषतः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित विषयों में से समस्त या उनमें से किसी भी एक विषय के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) वह रीति, जिससे इस अधिनियम के अधीन नोटिस या विशेष-सिंचाई प्रभारों की अनुसूचियाँ प्रकाशित की जाएं,

(ख) वह रीति, जिससे भूमियों की धारा 5 की उपधारा (7) के प्रयोजनार्थ तथा उनके मूल्य-मान में बढ़ोतरी की अवधारण के लिए उनका मूल्यांकन किया जाए,

(ग) वह रीति, जिससे किसी सिंचाई योजना में की किन्हीं भूमियों के या भूमियों के वर्ग के सन्दर्भ में विशेष सिंचाई प्रभारों की दरों की गणना की जाए,

(घ) वह समय जब और वह रीति तथा प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत विशेष-सिंचाई प्रभारों के सम्बन्ध में मांग-विवरण तैयार किये जाएं,

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत विशेष सिंचाई प्रभारों के सम्बन्ध में मांग नोटिस इस अधिनियम के अधीन तैयार किये जाएं, तथा उनकी तामील की रीति,

(च) वह अवधि, जिसके भीतर आक्षेप किये जाएं, ऐसे आक्षेपों का अवधारण करने के लिए प्रक्रिया और वह प्राधिकारी, जिन्हें तथा वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अध्यधीन उनकी अपीलें की जाएं,

(छ) वह अवधि, जिसके भीतर मांग नोटिस के बाद विशेष-सिंचाई प्रभार संदेय होंगे तथा वह रीति जिससे ऐसे प्रभार वसूल किये जाएं,

(ज) वे शर्तें, जिनके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन किसी बकाया राशि का भुगतान किश्तों में किया जा सके और किश्तों में ऐसी राशि के भुगतान के लिए ब्याज की दर,

(झ) वे शर्तें, जिनके अध्यधीन किसी भूधारक को अपनी भूमि का कोई भाग उसके द्वारा देय सुधार प्रभारों का चुकारा करने के लिए सरकार के पक्ष में त्यागने हेतु अनुज्ञात किया जाए

(ञ) वह रीति, जिससे भूधारकों तथा अधिभोगी काश्तकारों के बीच विशेष सिंचाई प्रभार विभाजित किये जाएं,

(ट) वह रीति जिससे तथा वे शर्तें, जिनके अध्यधीन कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित हो।

❑❑❑